कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–: : परिपत्र : :–

शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक : प. 22 (6) शिक्षा–1/2022 जयपुर, दिनांक : 08.09.2022 एवं 25.07.2022 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25605/वो–3/2022–23/28, दिनांक : 22.08.2022 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन उपरान्त पद आवंटन/प्रत्याहारित किये गये है। उक्त प्रत्याहारित किये गये पदों पर कार्यरत कार्मिकों का वेतन नवीन स्वीकृत उच्च पद से आहरित किया जावे। नवीन स्वीकृत पद के सापेक्ष यदि कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिक अधिक होने पर कार्यालय/संस्था में स्वीकृत अन्य समान/उच्च ग्रेड़ पे के रिक्त पद से वेतन आहरित किया जावे, यदि किसी कार्मिक के वेतन आहरण हेतु नवीन पद स्वीकृत नहीं है एवं अन्य पद भी कार्यालय/संस्था में रिक्त नहीं है, तो अतिरिक्त कार्यरत कार्मिक के नियुक्ति अधिकारी उनका वेतन अन्यत्र कार्यालय/विद्यालय के रिक्त पद से आहरित किये जाने हेतु आदेश जारी करावें।

शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अ.शा.टीप. क्रमांक FD/E2/कार्मिक (5) 2022–23/दिनांक 25.05.222 में मंत्रालयिक संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जायेगा तथा जैसे–जैसे पदोन्नति/सेवानिवृति से पद रिक्त होंगे अस्थायी रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।

उक्त आदेशों की पालना में प्रत्याहारित किए गए पदों पर कार्यरत कार्मिकों को उसी कार्यालय/संस्था के शाला दर्पण लॉगिन में अधिशेष किया गया है, इस संबंध में समस्त कार्यालय अध्यक्ष/संस्था प्रधान अधिशेष कार्मिकों को कार्यालय/संस्था में स्वीकृत उच्च पद पर तत्काल ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/साप्र-1/बी-2/4425(75)/19 दिनांक : 09.09.22

सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संयुक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
4. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा प्रकाशन अनुभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों से उक्त अधिशेष कार्मिकों को उच्च पद पर ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. उप निदेशक, समाज शिक्षा, बीकानेर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), जयपुर/जोधपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
11. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर